

**FORM-II**

(For projects other than linear projects)

Government of H.P.

Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2020- 708-09


Dated: 12-11-2020

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **00-16-66 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of the Regional Manager, HRTC, Rampur Bushahar for construction of Bus Stand Taklech (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Mauja Siyarla Barshol, Sub-Tehsil Taklech, District Shimla, Himachal Pradesh.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **00-16-66 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure -A to annexure B.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) Each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/process under FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion.
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA.



(Aditya Negi)  
District Collector,  
Shimla (H.P.)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA  
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

**Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.**

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 6-11-2020 at 11.30 AM in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Taklech claiming rights in village forest area(s) **00-16-66 Hectares** under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----Nil---	

Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----Nil---	

As informed by SDO(Civil), Rampur no application was received from Gram Sabha Taklech claiming right in **00-16-66 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date:

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,  
District Level Forest Rights Committee,  
Shimla**

ADm (L)  
उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 29-02-2020 की कार्यवाही (FRA)

आज दिनांक 29-02-2020 को श्री नरेन्द्र चौहान 19.3

(हि0प्र0से0) उप-मण्डलाधिकारी (ना0) रामपुर की अध्यक्षता में Schedule Tribes & Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act FRA), 2006 के अन्तर्गत उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यो ने भाग लिया।

1. श्री विपिन ठाकुर तहसीलदार रामपुर।
2. श्री प्रताप सिंह खण्ड बन अधिकारी ननखड़ी/बाहली।
3. श्री जगदीश कुमार हि० पथ परिवहन निगम रामपुर।
4. श्री ज्योति प्रकाश कार्यालय कानूनगो तहसील रामपुर।
6. श्रीमति बिशना भंडारी गाँव व डा. झाकड़ी तहसील रामपुर। (गैर सरकारी सदस्या)

385451  
20/3/2020

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित हुए सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यो का बैठक में उपस्थिति होने पर स्वागत किया, तदोपरान्त बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

58

मद संख्या -1

बस अड़डा तकलेच निर्माण के लिए मलकीयत सरकार कब्जा बन विभाग मौजा सियारता बरशोल में खसरा नंबर 593/1 तादादी रकवा 00-16-66 हेक्टेयर प्रस्तावित भूमि के लिए ग्राम पंचायत तकलेच ने प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 09-09-2019 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार समिति तकलेच ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या -2

बस अड़डा ननखड़ी के निर्माण के लिए मलकीयत सरकार कब्जा



मद संख्या -2

बस अड्डा ननखड़ी के निर्माण के लिए मलकीयत सरकार कब्जा ताबे हकूक वर्तन वर्तनदारन मौजा DPF भोरजा में खसरा नंबर 24/1 तादादी रकवा 00-35-34 हेक्टेयर प्रस्तावित भूमि के लिए ग्राम पंचायत थाना-ननखड़ी ने प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 02-10-2018 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार थाना-ननखड़ी ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बन्धित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या -3

इसके अतिरिक्त उपयुक्त महोदय दुवारा एक अधिसूचना डी.ओ. संख्या SML-सर(Notification)2016-796 दिनांक 02 सितम्बर 2019 दुवारा जारी की गई थी जिस में उप-मण्डल रामपुर के अंतर्गत स्थित सभी वन अधिकार समितियों दुवारा स्थानीय जन मानस के लिए 10-09-2019 से पूर्व एक सूचना जारी की जानी थी तथा 16-09-2019 से 14-12-2019 के बीच सभी लोगों से वन अधिकार अधिनियम के नियम 4 के अंतर्गत दावे व आपतियां मंगवाई गई थी महाल सभा दुवारा सितम्बर माह में पहली बैठक की गई तथा महाल सभा की दूसरी बैठक दिसंबर माह में आयोजित की गई (सूची संलग्न) मुताविक रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी (NodalOfficer) रामपुर व ननखड़ी के, किसी भी वन अधिकार समिति के समक्ष किसी भी व्यक्ति ने कोई दावा व आपति दायर नहीं की है आज उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में इस बारे चर्चा की गई किसी भी वन अधिकार समिति के समक्ष किसी भी व्यक्ति दुवारा दावा व आपति दायर ना किये जाने के कारण जिला स्तरीय समिति को नहीं भेजे जाने बारे सहमति हुई है

*Namra*

अन्त मे बैठक मे उपस्थित सभी सदस्यों का  
अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक मे उपस्थित होने के लिए धन्यवाद किया गया।

*(Namma)*

उप-मण्डलाधिकारी (ना०),  
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि०प्र०  
दूरभाष नं० 01782 233002

पृष्ठांक संख्या: आ०एम०पी०/एस०डी०के०/2020 239 दिनांक 9/3/2020.

प्रतिलिपि:

1. उपायुक्त महोदय शिमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों तथा समस्त गैर सरकारी सदस्यों को सूचनार्थ।

*(Namma)*

उप-मण्डलाधिकारी (ना०),  
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि०  
दूरभाष नं० 01782 233002

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), RAMPUR,  
DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH

**Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee  
constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest  
Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.**

A meeting of the Sub-Divisional Level Committee of Rampur Sub-Division constituted under RFA, 2006 was held under the chairmanship of Sh. Narender Chauhan, HPAS, Sub-Divisional Officer (C), Rampur, Distt. Shimla, H.P. on 29-02-2020 at 11:00 AM at Rampur, in which the application of the applicant of HRTC for diversion of forest land area measuring 00-16-66 hect. at Taklech and area measuring 00-35-34 hect. of land in Forest Division Rampur for the construction of new Bus Stand Taklech Sub-Tehsil Taklech and Nankhari Tehsil Nankhari District Shimla under FRA 2006 duly processed and recommended by the Forest Right Committee Taklech and Thana-Nankhari was discussed and consider the same and forwarded with recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detail discussion the application of the applicant were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place :- Rampur  
Dated :- 29-02-2020

*Narender Chauhan*  
SDO & Chair-Charman,  
Sub-Divisional Level Committee

सूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006  
वन अधिकार समिति

ग्राम सभा...तकलेच...  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 09-09-2019

दावा संख्या...01.....

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा...तकलेच...की बैठक आज दिनांक 09-09-2019  
को 11:00 बजे स्थान...तकलेच...में श्री/ श्रीमति...आशा नेगी...  
की अध्यक्षता में की गई जिसमें...तकलेच...गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य  
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत...सिधारला वरसोल तकलेच  
जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें दि. 05.05.2010 विभाग द्वारा...बस स्टैंड \*\* तकलेच...  
निर्माण के लिए 00-16-66 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए  
दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों  
के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा  
रा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
		NIL	

उदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी  
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1	NIL
2	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

.....जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....  
दिनांक .....

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम सभा...तकलेच

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए  
आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग  
की अनुमति दी जानी है।

प्रधान  
वन अधिकार समिति  
तकलेच

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम सभा...तकलेच

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006  
ग्राम सभा...तकलेच...  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

क्रमांक संख्या...01.....

दिनांक...09-09-2019

ग्राम सभा...तकलेच.....की बैठक आज दिनांक .....को 11:00  
बजे स्थान...तकलेच.....में श्री/ श्रीमति...आशा नैगी.....की अध्यक्षता में की  
जिसमें तकलेच.....गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत  
निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सिंघारलातरबोलतकलेच जंगल / वन  
में (जिसमें दि. 05.05.2010 विभाग द्वारा बस स्टैंड \*\* तकलेच के निर्माण के  
लिए 00-16-66 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम  
सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की  
गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के  
उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक \*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

NIL

अनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को  
पारित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्रमांक \*पात्र गांव वासी का नाम

NIL

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार.....जंगल/ वन क्षेत्र  
में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....

दिनांक .....

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम सभा...तकलेच.....

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए  
आवेदन किया है।

\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग  
की अनुमति दी जानी है।

सचिव  
वन अधिकार समिति  
तकलेच

22/09/19  
तकलेच

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा ..... तकलेच  
विकास खण्ड ..... रामपुर ..... जिला ..... शिमला ..... (हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

गपूर्ति ..... 05/05 ..... / .....

दिनांक ..... 09-09-2019

प्रस्ताव संख्या ..... 01

व्य: अनापति प्रमाण पत्र बस स्टैंड तकलेच विभाग/संस्था को हि0प्र0प0नि0 बस स्टैंड तकलेच  
के निर्माण हेतू ..... 00-16-66 वन क्षेत्र ..... जंगल/ वन क्षेत्र  
प्रस्तावित ..... 00-16-66 ..... हैक्टयर वन भूमि के उपयोग  
मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा ..... तकलेच ..... की बैठक आज दिनांक ..  
को ..... 11.00 ..... बजे, स्थान ..... तकलेच ..... की गई, जिसमें हि0प्र0प0-  
विभाग/संस्था को बस स्टैंड तकलेच ..... के निर्माण हेतू शिमला तरसोल तकलेच  
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-16-66 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के  
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी  
सह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि  
जाने पर सहमत है।

सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की  
मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व  
सम्मत से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे  
के लिए सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित ..... 00-16-66 ..... हैक्टयर वन  
भूमि को बस स्टैंड तकलेच निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा ..... तकलेच ..... की  
सहमति दी जाती है।

दिनांक .....



ग्राम पंचायत तकलेच

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम सभा.....



# कार्यालय ग्राम पंचायत, तकलेच

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि.प्र.)

पंचायती राज विभाग

दिनांक 28/7/2019

क्रमांक .....

नकल प्रस्ताव संख्या 20 दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा .....

उपस्थिति 9/9 अध्यक्षता श्रीमती/श्री पवना कुमारी प्रधान ग्राम पंचायत, तकलेच

विषय :- अनापात प्रभाग पत्र !

— सर्वसहमत से प्रस्ताव पारित किया गया है कि  
 — ग्राम पंचायत तकलेच के अन्तर्गत बख  
 — स्टैंड का निर्माण हो रहा है तो ग्राम  
 — पंचायत तकलेच को इस कार्य को करवाने  
 — के संदर्भ में कोई अनापात नहीं है

अतः ग्राम पंचायत सर्वसहमत से अनापात

प्रभाग पत्र जारी करती है

प्रतिलिपि :- सहायक निरीक्षण विभागाध्यक्ष पत्र पारिवहन निगम रामपुर की सेवा में



ग्राम पंचायत तकलेच

*[Signature]*

ग्राम पंचायत तकलेच  
विकास खण्ड रामपुर  
जिला शिमला (हि.प्र.)